शहरी विकास विभाग
9वॉं तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 83

दिनांक :– 09/08/2017.

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री राजेश गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसकी है;	**उत्तरः दिल्ली नगर निगम** लोक निर्माण विभाग के सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी उत्तरी, पूर्व व दक्षिण नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की है। **उत्तरःलोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार** लोक निर्माण विभाग सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी तौर पर जिम्मेदारी MCD की है। जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्मित क्रमशः डी0टी0एफ0 तथा एस0टी0एफ0 द्वारा संबंधित एजेन्सियों के सहयोग से भी अतिक्रमण हटाया जाता है। लोक निर्माण विभाग ऐसे ऑपरेशन में लोजिस्टिक सपोर्ट जैसे जे0सी0बी0, ट्रक, तथा लेबर इत्यादि का सहयोग देता है। अतिक्रमण रोकने हेतु उपरोक्तानुसार लगातार प्रयास किया जाता है और निरंतर अंतराल पर अतिक्रमण हटाया भी जाता है।
(ख) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधान सभा में सड़कों पर खुलेआम गाड़ियों की मरम्मत और गाड़ियां की धुलाई कार्य से सीवर लाइन और नाले जाम हो जाते हैं,	**उत्तरःउत्तरी दिल्ली नगर निगम** जी हॉ, वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर गाड़ियों की मरम्मत व गाड़ियों की धुलाई का कार्य करने वालों के विरूद्ध लाईसेसिंग विभाग, सिविल लाईन जोन द्वारा समय–समय पर कार्यवाही की जाती है तथा लाईसेसिंग विभाग सिविल लाईन जोन में माह जून, 2017 में 3 गाड़िया उठायी गयी है तथा चलते हुए काम को बंद करा दिया गया था। **उत्तरःलोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार** हॉ